

अष्टम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अदालत,

भागलपुर

थाना कांड संख्या- 130/15 (शाहकुंड)

आरोपित धाराएँ- 41, 307, 323, 341, 335, 504, 506, 34 IPC

सत्रवाद संख्या- 381/19

अनुसंधान पदाधिकारी का नाम-

सेवा में,

थानाध्यक्ष शाहकुंड

भागलपुर

महाशय,

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त थाना कांड के अनुसंधान पदाधिकारी को निर्देशित करे कि दिनांक 27-08-20 को इस थाना कांड संख्या के सभी साक्षियों का साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करे।

यदि अनुसंधान पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो आप स्वयं साक्षी को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करे।

यदि साक्षी को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे कर्तव्यहीनता एवं न्यायालय के न्यायिक आदेश की अवहेलना मानी जाएगी।

गवाहों का नाम

विश्वासभाजन

- ① रतिकलाल मंडल के सस
बालदेव मंडल, सस-हरौब्यी
थाना-धर्मौर, भागलपुर

(एम.पी. सिंह.)
अष्टम अपर जिला
एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर।
दिनांक- 17-01-20

- ② डा. सुबोध कुमार (एस, PHC शाहकुंड)
③ (डा. आनंद मो. मंजुम देव खा, सस आनंद - जिनैनी सस, लुआम
एवं मंडल)

In the Court of M.P. Singh, 8th Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur
Order-sheet

S.T. NO.: 381/19

17-01-20

बार के एक मात्र अभिमुक्त की ओर
हैं लक्ष्मी ही गई।

दि 27.2.20 वाले साहब
हैं कायसीन या अफ्रीका का पालन
नहीं।

लेखा

~~ADJ-VIII~~